बिहार विधान परिषद् सचिवालय

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं.- 02/2025

निजी सहायक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में

बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 एवं विज्ञापन सं.-02/2025 दिनांक 26.11.2025 के अधीन परिषद् सचिवालय में स्टेनोग्राफर एवं आप्त सचिव संवर्ग में समूह-ख अराजपत्रित श्रेणी वेतन स्तर-7 में निजी सहायक के रिक्त-07 (सात) पदों पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया में स्वच्छता एवं निष्पक्षता की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए अंतिम परीक्षाफल में सफल घोषित किए गए 07 (सात) अभ्यर्थियों की हिन्दी आशुलिपि दक्षता (शॉर्टहैन्ड) की व्यावहारिक दक्षता की जांच विषय-विशेषज्ञों के त्रिसदस्यीय पैनल द्वारा सीसीटीवी (हाई रेशोल्यूशन कैमरा) की निगरानी एवं दण्डाधिकारी की उपस्थिति में दिनांक 04.11.2026 को नवविस्तारित भवन एवं पुन: दिनांक 18.11.2026 को मुख्य भवन में 11:30 बजे पूर्वा. से 01:00 बजे अप. तक इस शर्त के साथ आयोजित किया गया कि वर्णित सभी अभ्यर्थियों के लिए इस जांच में शामिल होना अनिवार्य है, जो अभ्यर्थी इस जांच में शामिल नहीं होंगे उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा।

दिनांक- 04.11.2026 एवं 18.11.2026 को आयोजित निजी सहायक पद हेतु हिन्दी आशुलेखन दक्षता (शार्टहैंड) की व्यावहारिक दक्षता जांच में सातों अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी शामिल होने हेतु उपस्थित नहीं हुए ।

बिहार विधान परिषद् सचिवालय (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 में निहित प्रावधानों, व्यावहारिक दक्षता जांच सूचना की शर्तों एवं प्राप्त विधिक परामर्श के आलोक में अंतिम परीक्षाफल में सफल घोषित किए गए 07 (सात) अभ्यर्थियों यथा (1) स्पृहा सिंह, अनुक्रमांक-200035, (2) अमन कुमार, अनुक्रमांक-200021, (3) नमन राज, अनुक्रमांक-200019, (4) अंजली कुमारी आनंद, अनुक्रमांक-200044, (5) सुमित राज, अनुक्रमांक-200038, (6) गुडिया कुमारी, अनुक्रमांक-200057 तथा (7) शिमरण भारती, अनुक्रमांक-200074 को अयोग्य घोषित करते हुए परिषद् सचिवालय के स्था.का.आ.सं.-921, ज्ञापांक-2890(2)वि.प. दिनांक 07.09.2026 को निरसित किया जाता है। तथा विज्ञापन सं.-02/2025 दिनांक 26.11.2025 के अधीन परिषद् सचिवालय में स्टेनोग्राफर एवं आप्त सचिव संवर्ग में समूह-ख अराजपत्रित श्रेणी वेतन स्तर-7 में निजी सहायक के 07 (सात) पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किया जाता है।

संबंधित अभ्यर्थियों को इसकी सूचना आवेदन में अंकित मोबाईल नं. एवं ई-मेल पर प्रेषित है।

माननीय कार्यकारी सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से।

नवीन
14-11-26

(नवीन कुमार मिश्र)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्
पटना ।